राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–758/2010/जयपुर

मै0 एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लि0,
बी–30, ज्योति मार्ग, बापू नगर, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, कोटा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी फर्म द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 38/आरवेट/ए/07–08 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा आरोपित मांग को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 24.05.2007 को वाहन संख्या आरजे–23–जीए–1492 को जयपुर से कोटा परिवहनित करते समय चैक किया। वाहन में 8 नग कम्प्यूटर भेजे जा रहे थे जिन्हे डिलीवरी चालान संख्या 57625578 दिनांक 17.02.2007 के माध्यम से परिवहनित किया जा रहा था। उक्त डिलीवरी चालान पर दिनांक 17.02.2007 अंकित थी जबकि माल का परिवहन दिनांक 24.05.2007 को किया जा रहा था। दस्तावेजों में प्रेषक मै0 एच.सी.एल.इंफोसिस्टम, जयपुर था तथा प्रेषिति मै0 राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर था एवं माल बारां व झालावाड़ के लिए परिवहनित किया जा रहा था। इस प्रकार संदिग्ध दस्तावेजों से माल का परिवहन किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर निधनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6), 76(12) के तहत नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया, प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश 26.05.2007 द्वारा उक्त माल की कीमत रू0 2,17,605/–पर 4 प्रतिशत से कर रू0 8,704/– व शास्ति रू0 65,283/– कुल रू0 73,883/– अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित कर दी गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश

लगातार.....2

करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.01.2010 द्वारा अपीलार्थी फर्म की अपील अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी फर्म द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी फर्म की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर के मै0 एच.सी.एल.इन्फोसिस्टम, पाण्डीचेरी के द्वारा कम्प्यूटर भेजे गये थे। अपीलार्थी के द्वारा क्रेता के निर्देश पर इन कम्प्यूटर को कोटा, बारां व झालावाड जिलो में भेजा जा रहा था। इसमें करापवंचन की मंशा नही थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त (2007) 8 वेट रिपोर्टर पेज 203 व 212 एवं (2006) 15 टैक्स अपडेट पेज 115 तथा कर बोर्ड द्वारा पारित (2009) 23 टैक्स अपडेट पेज 52 का हवाला देते हुए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि माल मदरसा बोर्ड के विभिन्न स्थानों पर जा रहा था। मदरसा बोर्ड ने लिखित में भी 20.05.2007 को पत्र जारी किया गया, जो पत्रावली में लगा हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कम्प्यूटर निर्देशित स्थानों पर पहुॅचाये जाने है। इसके साथ विभिन्न स्थानों की सूची भी लगी हुई है। अतः इसमें कोई कर चोरी की मंशा नहीं थी। इसके बारे में कर निर्धारण अधिकारी ने भी कोई गहन जांच नहीं की है।

6. अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाते है, एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष